"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2005—आषाढ़ 3, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक ई 1-13/2005 एक/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/6/2002-एआईएस (1), दिनांक 8-5-2002 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) के अंतर्गत डॉ. ए. जयतिलक, भा. प्र. से. (KL 1991) एवं श्रीमती इशिता राय, भा. प्र. से. (KL 1991) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं.

मध्यप्रदेश मुद्रण... छत्तीसगढ़ शासकीय प्रेस... से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. डॉ. ए. जयतिलक, भा. प्र. से. (KL 1991) एवं श्रीमती ईशिता राय, भा. प्र. से. (KL 1991) की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 14-6-2005 को समाप्त होने से उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (केरल शासन) को दिनांक 14-6-2005 (अपरान्ह से) वापस लौटाई जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक ई-7/28/2004/1/2.—श्री अमिताभ जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, रायपुर को दिनांक 23-6-2005 से 2-7-2005 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 22-6-2005 एवं 3-7-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 20-6-2005 से 30-6-2005 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 एवं 19-6-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक 1438/1.058/2005/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1088-1089/786/2005/1/2, दिनांक 9-5-2005 के द्वारा डॉ. ए. जयतिलक, भा. प्र. से., आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 24-5-2005 से 6-6-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

2. डॉ. जयतिलक, भा. प्र. से. ने उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्ण अवधि का उपभोग न करते हुए दिनांक 3-6-2005 को अपरान्ह अपने कार्य पर उपस्थित हो गये. अत: दिनांक 4-6-2005 से 6-6-2005 तक (3 दिवस) का उपभोग न किये गये अर्जित अवकाश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक एफ 8-2/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के बायलर क्रमांक एम.पी./4075 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 18-5-2005 से दिनांक 17-9-2005 तक छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक एफ 8-12/2004/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व), कोरबा के बायलर क्रमांक एम.पी./3198 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 24-5-2005 से दिनांक 23-8-2005 तक तीन माहकी छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2005

क्रमांक एफ-9-6/दो/गृह/05.—सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 एवं 27 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र-भाग-बी-सी, द्वितीय प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्रों में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षाओं में उक्त प्रश्नपत्र में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

सरल क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	उत्तीर्ण होने का स्तर (5)
1.	श्री सोहनलाल ध्रुवंशी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में द्वितीय में	निम्नस्तर सश्रेय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्रीमती ऋतु सेन	सहायक कलेक्टर	प्रथम द्वितीय	उच्चस्तर सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र बस्तर		
3.	कु. अमृता सोनी	सहायक कलेक्टर	द्वितीय	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक एफ-9-39/दो/गृह/05.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31-1-2005 को प्रश्नपत्र ''हिन्दी'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक जनसंपर्क अधिकारी
2.	श्री राजेश दास कल्लाजे	सहायक वन संरक्षक
3.	श्रीमती सोमा दास	सहायक वन संरक्षक
	परीक्षा केन्द्र बस्तर	
4.	श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्त	राजस्व निरीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2005

फा. क्रमांक 5162/21-ब/छ. ग./2005.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. बी. दीक्षित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है.

Raipur, the 16th June 2005

F. No. 5162/XXI-B/C.G./2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastam Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 29 of 1983), the State Government hereby appoint Shri Justice R. B. Dixit, Retd. Judge of Madhya Pradesh High Court as the Chairman of the Chhattisgarh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge of the office for a period of five years or until he attains the age of 67 years whichever is earlier.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2005

क्रमांक एफ 3-1/दो/आठ-परि/2004.—राज्य शासन द्वारा धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, दंतेवाड़ा, कवर्धा, जशपुर नगर तथा बैकुण्ठपुर जिलों में नवीन परिवहन कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2005

क्रमांक/एफ 9-45/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भानुप्रतापपुर, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

भानुप्रतापपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम कराठी, चौगेल एवं मुल्ला, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम मुल्ला, भानुप्रतापपुर, रानवाही एवं नारायणपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम नारायणपुर, कन्हार गांव एवं कराठी, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कराठी, की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2005

क्रमांक 1735/218/32/05.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 250/218/32/05 दिनांक 17-2-2005 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना के अंतर्गत ग्राम कोरिनभाठा में उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम कोरिनभाठा राजनांदगांव के खसरा क्रमांक-171 रकबा 10.00 एकड़ की सूचना में किए गये उल्लेख अनुसार राजनांदगांव विकास योजना में निर्धारित उपयोग आवासीय शैक्षणिक स्वास्थ्य उद्यान मार्ग 60'/40' से आवासीय उपयोग में उपांतरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण ग्राम कोरिनभाठा के अंतर्गत राजनांदगांव विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 12-6/15-2/2004/1150 रायपुर, दिनांक 9 जून 2005

राज्य के कृषकों को सहकारी कृषि ऋणों (अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) पर ब्याज अनुदान नियम

प्रस्तावना :—

प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की त्रिस्तरीय ढांचा होने के कारण सहकारी बैंकों से सम्बद्ध कृषकों को अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ रहा है. केन्द्र शासन की अपेक्षा के अनुरूप राज्य के कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों से सम्बद्ध कृषकों को 1-10-2004 से 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर यदि 9 प्रतिशत से अधिक होगी तो अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा की जावेगी. इसके क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**

(एक) यह नियम "कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2004" कहलाएगा.
(दो) यह नियम 1 अक्टूबर 2004 से प्रभावशील होगा.
(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा.

2. **परिभाषाएं :—**

(एक) कृषक—"कृषक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो.

(दो) बैंक—"बैंक" का अभिप्राय राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है. जिसे आगे क्रमश: शीर्ष बैंक, राज्य विकास बैंक, जिला बैंक एवं जिला विकास बैंक के नाम से जाना जायेगा.

(तीन) संस्था—"संस्था" का अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/ कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी संस्था है.

(चार) ऋण—"ऋण" का अभिप्राय कृषक सदस्यों को 2 (दो) में वर्णित बैंक एवं 2 (तीन) में वर्णित संस्था द्वारा वितरित, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण से है.

(पांच) कृषि प्रयोजन—"कृषि प्रयोजन" का अभिप्राय कृषि एवं कृषि संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उन सभी कार्यों से है, जिनके लिए संस्था/बैंक द्वारा साख दिया जाता है एवं जिसमें सामान्य कृषि कार्य के लिए वितरित ऋण, अन्य कृषि आदान एवं उपकरण, सिंचाई साधन, कृषि एवं कृषि संबद्ध उत्पादनों के विपणन सम्मिलित है. परन्तु इसमें आवास निर्माण हेतु ऋण, ट्रेक्टर, स्वचालित थ्रेशर, स्वचालित हार्वेस्टर एवं अन्य ऐसे स्वचालित उपकरण/वाहन जिनका पृथक से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है, सम्मिलित नहीं होंगे.

(छ:) पंजीयक—"पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो इस नियम की कंडिका 2 (दो) में वर्णित बैंक एवं कंडिका 2 (तीन) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो.

(सात) प्राइम लेंडिंग रेट—"प्राइम लेंडिंग रेट" से अभिप्राय बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कास्ट आफ फंड, रिस्क कास्ट एवं ट्रांजेक्शन कास्ट के आधार पर निर्धारित उधार देने की न्यूनतम दर से है.

3. **पात्रता :—**

(एक) ब्याज अनुदान की पात्रता इस नियम की कंडिका 2 (दो) में वर्णित बैंक को होगी.

(दो) ब्याज अनुदान की पात्रता उस ऋण पर होगी जो इस नियम की कंडिका 2 (पांच) में वर्णित कृषि प्रयोजनों के लिये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर में दिये गये हों एवं जिस पर वित्त पोषक बैंक को लागत 9 प्रतिशत से अधिक आई हो.

(तीन) बैंक के प्राईम लेंडिंग रेट में बैंक का स्वयं का मार्जिन एवं संस्था के मार्जिन में पंजीयक के निर्देशानुसार मार्जिन कम किए जाने के बाद, निर्धारित ब्याज दर यदि 9 प्रतिशत से अधिक हो तो पात्रता होगी.

(चार) बैंक का प्राईम लेंडिंग रेट की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जावेगा.

(पांच) बैंक के प्राईम लेंडिंग रेट में परिवर्तन होने पर ब्याज दर का पुन: निर्धारण किया जावेगा.

(छ:) ऐसे ऋण ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे जिनकी अदायगी अल्पकालीन कृषि ऋण की दशा में संपूर्ण राशि एवं मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण की दशा में निर्धारित वार्षिक किश्त, निर्धारित समय पर अदा कर दी गई हों और जो कालातीत न हों. अर्थात् निर्धारित समय में ऋण राशि वापस नहीं करने वाले कृषकों को इस योजना के तहत 9 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध नहीं होगा.

4. **ब्याज अनुदान का आंकलन :—**

बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा बैंक एवं संस्था के लिए निर्धारित मार्जिन के आधार पर कृषक स्तर पर ब्याज दरों का निर्धारण करने के फलस्वरूप ब्याज दर 9 प्रतिशत वार्षिक से अधिक होने पर अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जावेगी.

ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगा :—

(अ) संस्था के लिए :—बैंक का प्राईम लेंडिंग रेट + बैंक का पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित मार्जिन + संस्था का पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित मार्जिन-9 प्रतिशत=ब्याज अनुदान.

(ब) जिला विकास बैंक के लिए :—बैंक का प्राईम लेंडिंग रेट + बैंक का पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित मार्जिन-9 प्रतिशत =ब्याज अनुदान.

5. **आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :—**

(एक) ब्याज अनुदान का आंकलन कर क्लेम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(क) संस्था के लिए :—संस्था इस नियम की कंडिका क्रमांक 3 की पात्रता अनुसार एवं कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्लेम जिला बैंक को प्रस्तुत करेगा. जिला बैंक प्रस्तुत क्लेम का अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से शीर्ष बैंक को अग्रेषित करेगा तथा शीर्ष बैंक क्लेम पर पंजीयक की स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(ख) जिला विकास बैंक के लिए :—बैंक इस नियम की कंडिका क्रमांक 3 की पात्रता अनुसार एवं कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्लेम तैयार कर अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य विकास बैंक को अग्रेषित करेगा तथा राज्य विकास बैंक क्लेम पर पंजीयक की स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(दो) इस नियम के प्रभावशील होने के वर्ष में बैंक की वार्षिक साख योजना के आधार पर ब्याज अनुदान की आंकलित राशि का 80 प्रतिशत राशि शासन द्वारा पंजीयक के माध्यम से शीर्ष बैंक को अग्रिम रूप में उपलब्ध करायी जावेगी. संस्था एवं जिला विकास बैंक द्वारा ब्याज अनुदान का क्लेम निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर किया जावेगा. जिला बैंक एवं राज्य विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत क्लेम पत्रक का पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान शीर्ष बैंक द्वारा किया जावेगा.

(तीन) उपरोक्त अग्रिम राशि में से ब्याज अनुदान प्रत्येक तिमाही में क्लेम के आधार पर समायोजित कर शासन से पुनः उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार क्लेम प्रेषित कर आगामी राशि प्राप्त की जावेगी.

(चार) इस नियम की कंडिका क्रमांक 3 (छः) के अनुसार पात्र कृषक के द्वारा ऋण की अदायगी उपरांत ब्याज अनुदान की राशि उसके ऋण खाता में जमा किया जावेगा.

(पांच) इस नियम की अवहेलना पाये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/शासन को होगा.

(छः) ब्याज अनुदान के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

6. **उपयोगिता प्रमाण पत्र :—**

ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला बैंक द्वारा शीर्ष बैंक तथा जिला विकास बैंक द्वारा राज्य विकास बैंक के माध्यम से पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा.

7. **विविध :—**

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालक एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा.

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004

क्रमांक एफ 20-95/2004/11/(6)

औद्योगिक नीति (2004-2009)

1. **प्रस्तावना :—**

1.1 प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य 21वीं सदी का राज्य है. छत्तीसगढ़ जहां मूल्यवान वनों एवं वनौषधियों की 88 से अधिक प्रजातियों सहित लघु वनोपज से धनी क्षेत्र है, वहीं राज्य में मूल्यवान खनिजों सहित खनिज सम्पदा के बड़े भंडार हैं. इन संसाधनों की सुलभ उपलब्धता से यहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं.

1.2 राज्य सरकार, क्षेत्रीय संतुलन के साथ तेजी से सुनियोजित आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए राज्य को शीघ्रातिशीघ्र ''विकसित राज्य'' की श्रेणी में लाने के लिए कृत संकल्पित है. छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए औद्योगिक विकास की वर्तमान दर में वृद्धि करना आवश्यक है. राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

1.3 नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य में ही वैल्यू एडीशन के लिए करना और प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना है. राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए यह प्रयास किया गया है कि निवेश के लिए आवश्यक अधोसंरचना सुलभ हो सके, उत्पादन लागत में कमी आए और प्रशासन उद्योगों की स्थापना के लिए मित्रवत कार्य करते हुए सहयोगी बने. इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को अहम स्थान दिया गया है.

1.4 राज्य के औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग भी राज्य के औद्योगिक विकास में सहभागी बने, इस हेतु औद्योगिक नीति में विशेष प्रयास दिए गए हैं. राज्य में अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, बंद तथा बीमार उद्योगों के पुनर्वास, उद्योगों में रोजगार प्राप्ति हेतु कौशल विकास आदि की ओर समुचित ध्यान दिया गया है.

1.5 औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार करते समय उद्योग संघों, उद्योगस्वामियों, निवेशकों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों आदि के साथ विचार-विमर्श किया गया है एवं उनके सुझावों तथा विचारों को महत्व देते हुए मान्य किया गया है. आशा की जाती है कि ''औद्योगिक नीति 2004-2009'' के क्रियान्वयन से राज्य के औद्योगिकरण को गति मिलेगी और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

2. **उद्देश्य :—**

1. औद्योगिकरण को गति प्रदान कर रोजगार सृजन कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर बढ़ाना.
2. प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज, वनोपज आदि स्थानीय संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करने हेतु सुविधाजनक वातावरण निर्मित करना.
3. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित कर संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना.
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि कमजोर वर्गों के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना.
5. राज्य में औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाना.
6. राज्य के औद्योगिकीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए सहभागी बनाना.

7. आर्थिक उदारीकरण जनित प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित करना.

3. रणनीति (स्ट्रेटजी) :—

1. उद्योगों के लिए आवश्यक रेल-सड़क, विद्युत, पानी आदि मूलभूत अधोसंरचना तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उपाय करना.

2. सड़क, विकसित भूमि, पानी आदि कम समय में और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना तथा सस्ती विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कैप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देना.

3. संपूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार तथा उनमें उपलब्ध सेवाओं में सुधार करना.

4. ऐसे उद्योगों जिनकी स्थापना के लिए राज्य में प्रचुर संसाधन हैं, किन्तु उनकी स्थापना नहीं हो पायी हैं, की स्थापना के लिए क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए विशेष पार्क निर्माण करना तथा सामूहिक सुविधाएं उपलब्ध कराना.

5. ऐसे अपरम्परागत उद्योगों जिनकी स्थापना के लिए राज्य में आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से उनके विकास की महती संभावनाएं विद्यमान हैं, को चिन्हित कर उनकी स्थापना को विशेष प्रोत्साहन देना.

6. राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में तथा कमजोर वर्गों को उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देना.

7. कम से कम समय में राज्य के सभी क्षेत्रों में उद्योग आधारित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन देना.

8. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के तकनीकी उन्नयन व आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देना.

9. राज्य के युवावर्ग को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके कार्य कौशल में वृद्धि, मार्गदर्शन प्रदान जैसे उपाय करना.

10. बीमार तथा बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु आवश्यकतानुसार विशेष पैकेज देना.

11. निवेश के लिए आवश्यक सुविधाएं, सेवाएं तथा कानूनी क्लियरेंस सुगमता के साथ न्यूनतम समय में उपलब्ध कराने के लिए ''एकल संपर्क बिन्दु'' तथा ''समयबद्ध क्लियरेंस'' की प्रभावी व्यवस्था निर्मित करना.

4. कार्य नीति :—

4.1. बुनियादी अधोसंरचना —

4.1.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाली सतत तथा निर्बाध विद्युत प्रदाय करने के लिए विशेष प्रयास किय जाएंगे. उद्योगों की विद्युत आवश्यकता को पूर्ति हेतु केप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

4.1.2 उद्योगों की पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश की ऐसी नदियों जिनमें ग्रीष्मकाल में जलप्रवाह कम हो जाता है, में जल संग्रहण करने हेतु ''एनीकट श्रृंखलाओं'' का निर्माण एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाएगा.

4.1.3 प्रस्तावित दल्ली राजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराने के लिए सभी आवश्यक प्रयास एवं उपाय किए जाएंगे.

4.1.4 विद्यमान तथा भविष्य में निर्मित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों, निर्यात क्षेत्रों आदि को राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशनों से उत्कृष्ट सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा.

4.1.5 बुनियादी अधोसंरचना की परियोजनाओं में देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेश एवं भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जायेगा. इसके लिये ''बी. ओ. टी.'', ''बी. ओ. ओ. टी.'' आदि पर आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी और राज्य सरकार अपने स्रोतों से स्वयं भी परियोजनाएं क्रियान्वित करेगी.

4.2 औद्योगिक अधोसंरचना —

4.2.1 नए उद्योगों की स्थापना हेतु बुनियादी अधोसंरचना की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इंडस्ट्रियल जोनिंग एटलस तैयार करने के लिये पहल की जायेगी.

4.2.2 राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिये लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय के समीप उपयुक्त स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा.

4.2.3 निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा.

4.2.4 नये उद्योगों की स्थापना हेतु क्लस्टर एप्रोच अपनाई जायेगी और हर्बल पार्क, फूड पार्क, एल्यूमीनियम पार्क, मेटल पार्क, अपेरल पार्क, आई. टी. पार्क, सायकल काम्पलेक्स, जैम एण्ड ज्वेलरी पार्क आदि के लिये उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित कर इनकी स्थापना की जायेगी.

4.2.5 राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, शीतगृह, आदि आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.

4.2.6 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, जलप्रदाय, विद्युत प्रदाय तथा कॉमन सुविधाओं के निर्माण, सुधार तथा रखरखाव हेतु राज्य सरकार के स्रोतों से तथा भारत सरकार की औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (आई. आई. यू. एस.) के अंतर्गत स्पेशल परपज व्हीकल के माध्यम से कार्य किया जायेगा.

4.2.7 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 'विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र', 'कृषि निर्यात प्रक्षेत्र' तथा 'एयर कार्गो काम्पलेक्स' की स्थापना तथा विद्यमान 'इनलेण्ड कंटेनर डिपो' में सुविधायें बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायेंगे.

4.2.8 औद्योगिक क्षेत्रों तथा पार्कों के बाहर उद्योगों की स्थापना हेतु विशेषकर वृहद तथा मेगा उद्योगों के लिये, निवेशकों को शासकीय राजस्व भूमि तथा निजी भूमि का अर्जन कर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी.

4.2.9 औद्योगिक क्षेत्रों के पास राज्य गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य शासकीय तथा निजी क्षेत्र की एजेसियों के माध्यम से आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पहल की जायेगी.

4.3 प्रशासकीय तथा कानूनी सुधार —

4.3.1 राजधानी में उद्योगों तथा औद्योगिक निवेश से संबंधित सभी एजेंसियां एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इस हेतु रायपुर में ''उद्योग परिसर'' का निर्माण किया जायेगा, जिसमें निवेशकों के सभी कार्य एक छत के नीचे हो सकेंगे.

4.3.2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिये औद्योगिक संगठनों, निवेशकों तथा विशेषज्ञों से सतत् विचार-विमर्श हेतु संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उद्योग सलाहकार बोर्ड का गठन किया जायेगा.

4.3.3 'छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002' के अधीन गठित जिला निवेश प्रोत्साहन समिति तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा. निवेश हेतु आवश्यक क्लियरेंस सुनिश्चित कालावधि के भीतर उपलब्ध कराने तथा संबंधित एजेंसीज द्वारा ऐसा न करने पर 'डीम्ड अप्रूवल' की व्यवस्था लागू की

4.3.4 निवेशकों को विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनिक क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए "एकल सम्पर्क बिन्दु" के रूप में कार्य करने के लिए जिलास्तरीय नोडल एजेंसी नामजद की जाएगी जो समस्त क्लियरेंस उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी.

4.3.5 श्रम कानूनों को सरलीकृत करने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी.

4.4 **निर्दिष्ट प्रोत्साहन**—

4.4.1 राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु ब्याज अनुदान, अधोसंरचना लागत/स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क छूट, प्रवेश कर छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दर पर प्लाट आबंटन, भू-डाईवर्शन पर छूट, परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान, आदि मदों में निर्दिष्ट प्रोत्साहन दिए जाएंगे.

4.4.2 निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:—

(एक) **सामान्य क्षेत्र** - नीचे खंड (दो) के जिलों को छोड़कर राज्य के शेष समस्त जिलों का क्षेत्र

(दो) **अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र** - दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र.

4.4.3 निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से निवेशकों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:—

(एक) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशक

(दो) अप्रवासी भारतीय तथा शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. वाले निवेशक

(तीन) सामान्य वर्ग के निवेशक - उपर्युक्त खण्ड (एक) तथा (दो) के निवेशकों को छोड़कर शेष समस्त निवेशक

4.4.4 निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु निवेश के साईज की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:—

(एक) **लघु उद्योग** — भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाई गई परिभाषा अनुसार

(दो) **मध्यम-वृहद उद्योग** — लघु उद्योगों को छोड़कर रुपये 100 करोड़ तक के सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग

(तीन). **मेगा प्रोजेक्ट्स** — रु. 100 करोड़ से रुपये 1000 करोड़ तक के सकल पूंजीगत लागत वाले वृहद उद्योग

(चार) रुपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले वृहद उद्योग

4.4.5 उद्योग के महत्व की दृष्टि से निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु उद्योगों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:—

(एक) **निषिद्ध सूची के उद्योग** — परिशिष्ट-2 की सूची में दर्शाए उद्योग, जिन्हें निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी.

(दो) **विशेष थ्रस्ट उद्योग**— परिशिष्ट-3 की सूची में दर्शाए उद्योग

(तीन) **सामान्य उद्योग** — निषिद्ध सूची तथा विशेष थ्रस्ट उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग

4.4.6 इस नीति में प्रावधानित निर्दिष्ट प्रोत्साहन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों के मामलों में लागू होंगे :—

(एक) **नवीन औद्योगिक परियोजनाएं**—ऐसी समस्त नई औद्योगिक इकाईयां, जो 1 नवम्बर, 2004 तथा 31 अक्टूबर, 2009 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करें.

(दो) **विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाएं**— दिनांक 1 नवम्बर, 2004 के पूर्व से उत्पादनरत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो राज्य सरकार के साथ 1 नवम्बर, 2004 के पश्चात् एम. ओ. यू. निष्पादित कर न्यूनतम रुपये 25 करोड़ का निवेश करते हुए मूल उत्पादन क्षमता (स्थापित क्षमता अथवा विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो) में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि करे और 31 अक्टूबर, 2009 के पूर्व विस्तार परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करे.

उत्पादन क्षमता विस्तार की परियोजना में किए गए निवेश के मामलों में छूट/रियायत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता/अतिरिक्त निवेश तक सीमित रहेगी. अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर दी जाने वाली छूट/रियायतों के प्रयोजन के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ने के बाद होने वाले कुल उत्पादन को मूल उत्पादन क्षमता और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांटा जाकर छूट/रियायत की पात्रता निर्धारित की जाएगी. कच्चे माल की खपत पर प्राप्त होने वाली छूट/रियायत की पात्रता भी इसी आधार पर परिगणित की जाएगी.

4.4.7 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के निवेशकों को नवीन लघु, मध्यम-वृहद तथा मेगा उद्योग स्थापित करने के लिए 'परिशिष्ट-4' में दर्शाए निर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी.

4.4.8 अप्रवासी भारतीय तथा शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. वाले निवेशकों को संबंधित क्षेत्र में सामान्य निवेशकों को उपलब्ध होने वाले निर्दिष्ट प्रोत्साहन से 5 प्रतिशत अधिक निर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी.

4.4.9 विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजना के लिए निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता यथास्थिति मध्यम-वृहद या मेगा उद्योग वर्ग के लिए सामान्य क्षेत्र में उपलब्ध अधिकतम निर्दिष्ट प्रोत्साहन के समतुल्य होगी.

4.4.10 रुपये 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योगों को निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता मेगा प्रोजेक्ट के लिए अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में उपलब्ध अधिकतम निर्दिष्ट प्रोत्साहन के समतुल्य होगी.

4.4.11 निर्दिष्ट प्रोत्साहन (छूट/रियायतें) उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होगी जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामलें में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करें.

4.4.12 जिन उद्योगों ने दिनांक 1-11-2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु 'प्रभावी कदम' उठा लिए हों, किंतु नियत दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2001-2006 में प्रावधानित छूट/रियायतों का पैकेज प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा.

4.4.13 भारत शासन अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियों के साथ उपक्रम संयुक्त उपक्रमों को छोड़कर) को निर्दिष्ट प्रोत्साहन की छूट/रियायतें प्राप्त नहीं होंगी.

4.5 निजी क्षेत्र की भागीदारी—

4.5.1 राज्य में बुनियादी अधोसंरचना तथा औद्योगिक संरचना के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा.

4.5.2 सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य में वेल्यू-एडीशन के लिए निवेश करने वाली निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए, विशेष रूप से माइनिंग के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाएगा.

4.5.3 अधोसंरचना निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रोत्साहित की जाएगी—

(1) सड़क, विद्युत, जल प्रदाय, आवास आदि बुनियादी अधोसंरचना

(2) औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक पार्क निर्माण, क्लस्टर विकास आदि औद्योगिक अधोसंरचना

(3) एयर कार्गो काम्पलेक्स, इनलेण्ड कंटेनर डिपो, वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक हब आदि भौतिक अधोसंरचना

(4) स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि सामाजिक अधोसंरचना

4.6 विदेशी पूंजी निवेश/निर्यात संवर्धन—

4.6.1 निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के माध्यम से राज्य में निर्यात की संभावनाओं का सर्वेक्षण कराया जाएगा.

4.6.2 भारत सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का पूरा उपयोग करने के लिए निर्यातक उद्योगों के लिए कार्य-योजना बनाई जाएगी.

4.6.3 निर्यात संवर्धन के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्मित करने के लिए पहल की जाएगी.

4.6.4 अप्रवासीय भारतीयों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें व्यक्तिश: तथा समूहों में आमंत्रित कर राज्य के उद्यमियों के साथ 'सार्थक संवाद' स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी.

4.6.5 निर्यातकों तथा निर्यात से संबंधित संस्थानों के सहयोग से वर्कशाप, सेमीनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित कर निर्यात विधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

4.6.6 उद्योगों के तकनीकी उन्नयन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तथा शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा.

4.6.7 अप्रवासी भारतीयों द्वारा एफ. डी. आई. के निवेश के लिए अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.

4.7 बीमार और बंद औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वास—

4.7.1 बीमार उद्योगों की पहचान करने की सरलीकृत प्रणाली विकसित की जाकर रुग्णता की ओर बढ़ रहे उद्योगों की सतत रूप से जानकारी एकत्र की जाएगी और उन्हें कार्यशील बनाए रखने के लिए उपाय किए जायेंगे.

4.7.2 लघु उद्योगों के मामलों में बंद एवं बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु उद्योग की श्रेणीवार वित्तीय तथा गैर वित्तीय छूट/रियायतों का प्रावधान करते हुए योजना बनाई जाएगी. मध्यम एवं वृहद बंद/बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु आवश्यकतानुसार विशेष पैकेज बनाए जायेंगे.

4.8 लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन—

4.8.1 इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि रोजगार के सर्वाधिक अवसर लघु एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में निर्मित होते हैं, इनकी स्थापना के लिए दिए जाने वाले निर्दिष्ट प्रोत्साहनों का युक्तियुक्तकरण करते हुए उनमें वृद्धि की गई है.

4.8.2 हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु समुचित प्रशिक्षण एवं विपणन के लिए उपलब्ध संस्थागत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा.

4.8.3 टसर के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ-साथ विपणन की सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उपाय किए जायेंगे.

4.8.4 राज्य सरकार के विभागों तथा शासकीय उपक्रमों द्वारा की जाने वाली खरीदी में लघु तथा ग्रामोद्योगों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता तथा 10 प्रतिशत तक क्रय अधिमान्यता को जारी रखा जाएगा.

4.9 मानव संसाधन विकास—

4.9.1 राज्य के उद्योगों की कुशल श्रमिकों की भावी आवश्यकता तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का आंकलन किया जाकर मांग एवं आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के उपाय किए जायेंगे.

4.9.2 राज्य के उद्योगों के लिए कुशल युवक/युवतियां उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार शासकीय तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों में, प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी.

4.9.3 राज्य में स्थापित उद्योगों के स्वामियों तथा निजी क्षेत्र को नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जायेगा. प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ अन्य आवश्यक सहायता दी जायेगी.

4.10 औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन का अनुश्रवण--

इस औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतरविभागीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप श्रीवास्तव; विशेष सचिव.

परिशिष्ट-1

परिभाषाएं :

1. "नियत दिनांक" से अभिप्रेत है 1 नवम्बर 2004.

2.1 "सामान्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है राज्य के रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा तथा रायगढ़ जिलों का क्षेत्र.

2.2 "अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है राज्य के उत्तर बस्तर (कांकेर), बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र.

3. "औद्योगिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला, औद्योगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक तथा राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीय डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र.

4. "नवीन औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1-11-2004 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो.

5. "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004-09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो.

6. "विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार" से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात् राज्य सरकार के साथ एम. ओ. यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रु. स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षों के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है.

7. "लघु उद्योग इकाई" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र धारित करती हो.

8. "मध्यम/वृहद औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका सकल स्थायी पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लघु उद्योगों हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु रु. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति आई. ई. एम., औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण-पत्र धारित करती हो.

9. "मेगा प्रोजक्ट" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रुपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवम्बर 2004 के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत शासन उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई. ई. एम., औद्योगिक लायसेंस, आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो.

10. "विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग" से अभिप्रेत है परिशिष्ट-2 में उल्लिखित उद्योग.

11. "अपात्र उद्योग" से अभिप्रेत है परिशिष्ट-3 में उल्लिखित उद्योग.

12. "सकल पूंजीगत लागत" से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं उद्योग के स्थापना स्थल पर किया गया स्थायी पूंजी निवेश व अधोसंरचना लागत की कुल राशि.

13. "अधोसंरचनात्मक लागत" से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या उद्योग के विस्तार हेतु भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किये गये निवेश से है.

14. ''भूमि'' से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु क्रय की गई या लीज पर ली गई भूमि से है तथा ''भूमि व्यय'' में सम्मिलित है- भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम तथा भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क.

15. ''भूमि विकास'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं भूमि का समतलीकरण, गहराईकरण, ड्रेनेज निर्माण.

टीप:- भूमि विकास पर किया गया निवेश भूमि एवं भवन पर मान्य स्थाई पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा.

16. ''पहुंच मार्ग'' से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक इकाई के फेक्ट्री स्थल के निकटवर्ती सावर्जनिक मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते शासन के किसी विभाग/उपक्रम का कोई पहुंच मार्ग फेक्ट्री स्थल तक न हो.

17. ''विद्युत आपूर्ति'' से अभिप्रेत है नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना या विद्यमान उद्योग के विस्तार में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु विद्युत संयोजन पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को भुगतान की गई राशि.

टीप :- (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जावेगी.

(2) यदि कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना केवल स्वयं के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को ''विद्युत'' के तहत मान्य किया जावेगा, जिसके लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा.

18. ''जल आपूर्ति'' से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु जल आपूर्ति पर किया गया निवेश (सिक्यूरिटी व संबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोड़कर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो.

19. ''स्थायी पूंजी निवेश'' से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना या विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग के स्थापना स्थल पर स्थाई परिसम्पत्तियों में शेड-भवन, प्लांट एवं मशीनरी, रेल्वे साइडिंग पर किया गया निवेश.

20. ''शेड-भवन'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं कि औद्योगिक इकाई के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम गृह, साईकिल/स्कूटर स्टेण्ड, सिक्यूरिटी पोस्ट, माल गोदाम.

21. ''प्लांट एवं मशीनरी'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं इकाई के स्थापना स्थल पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान आदि हेतु स्थापित संयंत्र, उपकरणों से है.

टीप :- पट्टे पर लिये गये ऐसे प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण जो न्यूनतम 10 वर्ष की, कालावधि के लिए ली गयी हो व जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो में किया गया निवेश भी प्लांट मशीनरी में किया गया निवेश मान्य होगा तथा उपकरण के मूल्य की गणना ''इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया'' द्वारा जारी ''एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए. एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड'' के अनुसार की जाएगी.

22. ''रेलवे साइडिंग'' से अभिप्रेत औद्योगिक इकाई के कार्यस्थल से विद्यमान रेलवे लाइन तक बिछाई गई रेलवे लाइन तथा संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से है.

टीप:- स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी-

(क) लघु उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छ: मास बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश.

(ख) वृहद/मध्यम उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश.

(ग) मेगा प्रोजेक्ट की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश.

23. "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से अभिप्रेत है—

(क) लघु उद्योग के मामले में औद्योगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण-उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो पहले हो.

(ख) रुपये 10 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो.

(ग) रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हो.

(घ) रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हो.

(ङ) रु. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो.

टीप :- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के संबंध में कोई विवाद होने पर अन्तिम निर्णय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का होगा.

24. "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जाति.

25. "अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कंपनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मूल निवासी हों.

26. "प्रभावी कदम" से अभिप्रेत, निम्नलिखित कार्यवाईयां पूर्ण करने से है—

(क) इकाई के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो.

(ख) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड-भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो, तथा

(ग) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का निश्चित क्रय आदेश दे दिया हो.

परिशिष्ट-2

उन उद्योगों की सूची जिन्हें छूट/रियायतों की पात्रता नहीं होगी (निगेटिव लिस्ट) :

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रूट बनाना.

(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रम.णीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).

(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां.

(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).

(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).

(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर).

(7) हालर मिल.

(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना.

(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर).

(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर).

(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर).

(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क).

(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण.

(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल.

(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).

(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण.

(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर).

(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क.

(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).

(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना.

(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण.

(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स.

(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्ड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).

(24) फोटो लेबोरिटीज.

(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट को छोड़कर)

(26) सभी प्रकार के कूलर.

(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग.

(28) रबर स्टाम्प बनाना.

(29) बारदाना मरम्मत.

(30) पॉलीथीन बेग्स (एच. डी. पी. ई. को छोड़कर).

(31) लेदर टेनरी.

(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार व सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़कर).

(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाएं.

परिशिष्ट-3

विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूची :

1. हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण.
2. आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग.
3. प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण.
4. एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद.
5. खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग).
6. मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद.
7. फार्मेस्यूटिकल उद्योग.
8. व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद.
9. अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन.
10. सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी.
11. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं.

परिशिष्ट-4

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु छूट रियायतें

1—ब्याज अनुदान :

- लघु तथा मध्यम-वृहद उद्योगों को सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा. ब्याज अनुदान की सुविधा मेगा उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी-

क—लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक.
	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे.	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक.	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक.
	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें.	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें.

ख—मध्यम-वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	निरंक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक.
	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे.	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक.	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक.
	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें.	अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष तक अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें.

2—अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान—

लघु, मध्यम-वृहद तथा मेगा उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा-

क—लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र		अधोसंरचना सहित स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 25 लाख,
	केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत, बिना किसी सीमा के.	अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों के मामलों में स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला निवेशकों को स्थाई पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, बिना किसी सीमा के.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	अधोसंरचना सहित स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 35 लाख,	अधोसंरचना सहित स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 35 लाख,
	अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों को स्थाई पूंजी निवेश (अधोसंरचना को छोड़कर) का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत बिना किसी अधिकतम सीमा के.	अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों को 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं को 35 प्रतिशत बिना किसी अधिकतम सीमा के.

ख—वृहद-मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि. अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों के मामलों में अधोसंरचना तथा स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.	सकल पूंजीगत लागत की 45 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.

ग—मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए अधोसंरचना 25 प्रतिशत राशि अधिकतम, राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि. अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों के मामलों में अधोसंरचना तथा स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत. अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.	सकल पूंजीगत लागत की 45 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि.

टीप : अनुदान की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए भुगतान किए गए वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रयकर की ऐसी राशि, जिसका वैट स्कीम में समायोजन/वापसी का दावा किया गया हो, सम्मिलित नहीं की जाएगी.

3—विद्युत शुल्क छूट—

केवल नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी. विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार पर विद्युत शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी—

क—लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट. 2. अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

ख—वृहद-मध्यम

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

ग—मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

4—स्टाम्प शुल्क से छूट—

"परिशिष्ट-4-ए" में दर्शाये गये उद्योगों को स्टाम्प शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी—

(1) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/लीज के निष्पादित विलेखों पर छूट,

(2) ऋण तथा अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर पंजीयन दिनांक से तीन वर्ष तक छूट.

5—प्रवेश कर से छूट—

उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अथवा प्रथम बार छूट लेने के दिनांक, जो भी पहले हो, प्रवेश कर से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी—

लघु उद्योग/मध्यम-वृहद/मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 5 वर्ष तक छूट.	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 7 वर्ष तक छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 7 वर्ष तक छूट.	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 9 वर्ष तक छूट.

6—औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत—

निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन में भू-प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी—

क—लघु, मध्यम तथा वृहद उद्योग—

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र		भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट.
	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट	भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 100 प्रतिशत छूट.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 100 प्रतिशत छूट.

ख—मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	भू-प्रव्याजि में 50 प्रतिशत छूट	भू-प्रव्याजि में 50 प्रतिशत छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये भू-प्रव्याजि में 100 प्रतिशत छूट.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये भू-प्रव्याजि में 100 प्रतिशत छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	भू-प्रव्याजि में 50 प्रतिशत छूट	भू-प्रव्याजि में 50 प्रतिशत छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 100 प्रतिशत छूट.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 100 प्रतिशत छूट.

टीप : अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क प्लाट आवंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक तथा अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू-खण्ड इन वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएंगे.

7—परियोजना प्रतिवेदन अनुदान—

नवीन उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार अनुदान दिया जाएगा—

समस्त लघु/मध्यम-वृहद/मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र.	केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों को परियोजना लागत रु. 1 करोड़ तक होने पर लागत का 1 प्रतिशत, परियोजना लागत 1 करोड़ से अधिक होने पर 1/2 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 1 लाख.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु किये गये व्यय का 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 2 लाख.

8—प्रौद्योगिकी प्रौन्नति हेतु ब्याज अनुदान—

विद्यमान औद्योगिक इकाइयों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से तकनीकी प्रौन्नति हेतु लिये गये सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी पर प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष से निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा—

क—लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख वार्षिक.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.

ख—मध्यम-वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु.. 25 लाख वार्षिक.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 25 लाख.

ग—मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	निरंक	निरंक
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 25 लाख.

9—भूमि उपयोग में परिवर्तन—

नवीन लघु उद्योगों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए पूर्ण छूट दी जाएगी.

10—औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन सेवा शुल्क

निजी भूमि के अर्जन पर जिला कलेक्टर को देय 10 प्रतिशत सेवा शुल्क एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क को कम करते हुये निम्नानुसार सेवा शुल्क लिया जाएगा—

(क) निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू-अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि.

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निजी/शासकीय भूमि आवंटन पर भूमि के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि.

11—गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान—

राज्य में स्थापित होने वाले समस्त नवीन उद्योगों को आई.एस.ओ.-9000, आई.एस.ओ.-14000 या अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु. 75000, की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

12—तकनीकी पेटेन्ट अनुदान—

राज्य में स्थापित होने वाले समस्त नवीन उद्योगों को पेटेन्ट प्राप्ति हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

परिशिष्ट-4-ए

स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता वाले उद्योगों की सूची

1. लघु उद्योग के मामलों में "परिशिष्ट-2" के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को छूट प्राप्त होगी.

2. मध्यम-वृहद उद्योग-मेगा प्रोजेक्ट : निम्न उद्योगों को छूट प्राप्त होगी—

1. हर्बल तथा वनोषधि प्रसंस्करण
2. ऑटो मोबाईल, आटो कम्पोनेंट एवं स्पेयर्स एवं साइकिल उद्योग
3. प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण
4. एल्युमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
5. खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)
6. मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
7. फार्मास्यूटिकल उद्योग
8. व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद
9. अपरम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन
10. सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
11. वनों पर आधारित प्रसंस्करण इकाई
12. लौह एवं इस्पात तथा इस पर आधारित उद्योग
13. सीमेंट और सीमेंट पर आधारित उद्योग
14. कोयले एवं अन्य रसायन उद्योग
15. कीमती पत्थर व आभूषण
16. ग्रेनाइट पर आधारित उद्योग
17. सड़क अधोसंरचना
18. शहरी अधोसंरचना जिसमें नवीन रायपुर का विकास शामिल है.

19. जल प्रदाय

20. ऊर्जा उत्पादन पारेषण एवं वितरण

21. राईस ब्रान आयल साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

22. धान के पुवाल पर आधारित बोर्ड व पेपर मिल

23. कोल्ड स्टोरेज

24. लेमन ग्रास आयल, मेन्थाल आयल

25. बांस पर आधारित कागज उद्योग

26. फूलों पर आधारित आयुर्वेदिक दवा निर्माण

27. फूलों पर आधारित सेंट व परफ्यूम

28. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाए.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक भू-अर्जन/39.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	तरदा	0.789	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बॅराज संभाग रामपुर/कोरबा.	ह. दा. त. न. के कथरीमाल शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक भू-अर्जन/40.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कनकी	3.716	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बॅराज संभाग रामपुर/कोरबा.	ह. दा. त. न. के कथरीमाल शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक भू-अर्जन/41.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बैगापाली	0.562	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बॅराज संभाग रामपुर/कोरबा.	ह. दा. त. न. के कथरीमाल शाखा नहर के बैगापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक भू-अर्जन/42.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कथरीमाल	3.583	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बॅराज संभाग रामपुर/कोरबा.	ह. दा. त. न. के कथरीमाल शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक भू-अर्जन/43.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	तरदा	0.570	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बॅराज संभाग रामपुर/कोरबा.	ह. दा. त. न. के तरदा शाखा नहर के बैगापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 जून 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/अ-82/ 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	मटियाडीह प. ह. नं. 35	3.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	मोहदी टार बांध योजना हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/25/अ-82/ 04-05/13/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	एरण्डवाल	0.66	अधिशासी अभियंता, (सिविल) कार्यवाहक कमान अधिकारी 108 सड़क इकाई डाकघर, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यवाहक कमान अधिकारी 108 सड़क इकाई डाकघर गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/25/अ-82/ 04-05/13/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	दुगनपाल	0.18	अधिशासी अभियंता, (सिविल) कार्यवाहक कमान अधिकारी 108 सड़क इकाई डाकघर, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यवाहक कमान अधिकारी 108 सड़क इकाई डाकघर गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक 02/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-बेलसूंगा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.966 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
269/1	0.235
270	1.412
268/3	0.526
227	2.032
184	1.688
201	0.979
211/2	0.138
196/1	0.227
214/5	0.061
218	0.320
219/1	3.116
221	1.348
232	0.364
268/4	0.445
214/3	0.279
186/6	1.376
208	1.550
211/1	0.473
269/2	0.971
271	0.154
274/2	1.801
183/3	0.405
185	0.154
210	0.558
214/2	0.085
196/5	0.125
202	0.360
219/2	1.781
234	0.732
223	0.316
207/2	0.692
319/3	0.607
214/6	0.057
189	0.113
193	0.154
196/3	0.473
238	1.012
268/2	0.554
172	0.409
183/2	0.348
195	0.295
203	0.494
215	0.579
202/2	0.214
216/6	0.607
225	1.109
220	0.696
230	0.692
224/2	0.971
196/2	0.227
196/4	0.146
206	0.704
204	1.044
200/1	0.214
212	0.749
205/1	0.186
205/3	0.085
216/3	0.283
217	0.850
214/1	0.267
267/1	0.680

(1)	(2)
209	0.809
216/2	0.134
228	0.862
214/4	0.069
205/2	0.243
222	0.607
216/5	0.607
235	0.113
योग 69	42.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बेलसूंगा तालाब के मुख्य बांध स्पील चैनल तथा डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक 03/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-बेलसूंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.286 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
22/2	0.105
28	0.012
[illegible]	0.109
35	0.138
48/2	0.154
237	0.214
238	0.024
26	0.129
160	0.093
157/1	0.142
38/1	0.121
169	0.184
159	0.174
47/2	0.093
29/2	0.085
34	0.243
48/1	0.040
48/3	0.129
168	0.097
योग 19	2.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बेलसूंगा तालाब योजना के मुख्य नहर चैन क्रमांक 0 से 45 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक 04/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुरकुंगा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.994 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196/2	0.494
458	0.190
204	0.032
448	0.348
392/1	0.040
391/1	0.647
382/1	0.142
224/1	0.145
487/1	0.028
431/1	0.263
239/1	0.267
376/1 क	0.061
376/11	0.073
487/2	0.142
446/1	0.182
197	0.214
395/1	0.202
394	0.065
435/1	0.081
391/2	0.057
388/2	0.514
384/2	0.012
381	0.097
477/1	0.215
225	0.093
376/16	0.182
376/17	0.040
473/1	0.178
477/2	0.129
439	0.356
390	0.303
198	0.263
472	0.049
384/1	0.020
392/2	0.202
447	0.312
383	0.040
488/3	0.146
456/2	0.154
239/4	0.097
376/1 ख	0.138
376/12	0.049
473/2	0.129
431/2	0.182
435/2	0.101
457/2	0.061
421	0.154
429	0.040
425	0.065
योग 49	7.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवर डोडकी व्यपवर्तन के मुख्य नहर चैन क्र. 368 से 452 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक 05/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-मयाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/1	0.101
84/2	0.101

(1)	(2)
84/3	0.101
योग 3	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय योजना के बायीं मुख्य चैन क्रमांक 0 से 7.50 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक 07/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-भण्डरी, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.399 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
160	0.230
20/2	0.044
168	0.101
32	0.113
22	0.113
164	0.089
149	0.162
35	0.057
21	0.089
165	0.069
145/1	0.206
34	0.057
24	0.069
योग 13	1.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय योजना के बायीं मुख्य चैन क्रमांक 52.50 से 83.50 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक 16/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-खुडगांव, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.242 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
306/2	0.020
315/5	0.242
318	0.242
324	0.036
321	0.282
251/1	0.020

(1)	(2)
313/4	0.222
306, 361/2	0.069
311	0.425
326	0.004
317	0.186
350/1	0.142
306/3	0.182
310	0.548
312	0.004
325	0.390
359	0.220
316	0.008
योग 18	3.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन के दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक 4-अ 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-दुग्गा, प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-228.10 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.23
3	0.33
4	0.43
5/1	0.50
5/2	0.84
6	0.40
7	0.40
8	0.43
9	0.47
11/1	0.34
11/2	0.20
12	0.05
13	0.12
14	0.03
15	0.14
19	0.05
20	0.05
21	0.05
22	0.05
23	0.05
24	0.05
25	0.05
26/1	0.11
27	0.04
28	0.04
29	0.05
30	0.05
31	0.05
32	0.02
33	0.44
34/1	0.04
34/2	0.08
35	0.31
36	0.44
37/1	0.30
37/2	0.21
37/3	0.21
37/4	0.32
38	0.12
39/1	0.61
39/2	0.21

(1)	(2)	(1)	(2)
39/3	0.50	79/1	0.08
40	0.01	81 p	0.13
41	0.55	85/2	0.04
42/1	0.49	86	0.36
42/5	0.05	87	0.25
42/6	0.05	88	0.09
42/2	0.05	89/2	0.20
43	0.81	89/3	0.31
44	0.04	89/4	0.40
45	0.04	89/5	0.20
46	0.04	89/6	0.16
47	0.04	89/7	0.50
48	0.10	89/8	0.41
49	0.11	89/9	0.40
50	0.11	89/10	0.24
51	0.04	89/11	0.10
52	0.04	90	0.10
53	0.05	91	0.10
54	0.22	92	0.10
55	0.02	93	0.12
56	0.05	94/3	0.04
57	0.04	95	0.12
58	0.04	96	0.08
59	0.04	97	0.03
60	0.05	98	0.04
61	0.05	99	0.04
62	0.05	100	0.13
63	0.04	101/1	0.10
64	0.04	101/2	0.10
65	0.05	102	0.08
66	0.04	103	0.04
67	0.05	104	0.17
68	0.04	105	0.12
69	0.05	106	0.04
70	0.07	107/1	0.28
71	0.04	107/2	0.02
72	0.05	108	0.26
73	0.02	109/1	0.43
74	0.07	109/2	0.43
75	0.18	110	0.17
76	0.02	111	0.09
77	0.57	112	0.19
78/1	0.08	113	0.33

(1)	(2)	(1)	(2)
114	0.04	160	0.09
115	0.04	161	0.45
116	0.39	162/1	0.30
117/1	0.46	162/2	0.34
117/2	0.46	163	0.10
117/3	0.47	164	0.03
118/1	0.14	165	0.08
118/2	0.07	166	0.13
118/3	0.40	167	0.12
119	0.14	168	0.09
120	0.10	169	0.03
121	0.14	170	0.07
122	0.12	171	0.16
123	0.08	172	0.02
124	0.04	173	0.63
125	0.05	174	0.13
126	0.08	175	0.25
127	0.05	176	0.09
128	0.04	177	0.19
129	0.09	178	0.10
130	0.20	179	0.12
131	0.14	180	0.25
132	0.08	181/1	0.20
133	0.06	181/2	0.45
134	0.06	181/3	0.41
135	0.06	181/4	0.45
136	0.24	182	0.20
137/1	0.05	183	0.07
138/1	0.27	184	0.04
139	0.04	185	0.14
140	0.07	186	0.31
141	0.10	187	0.42
142/1	0.10	188	0.33
143/1	0.07	189	0.02
144/1	0.07	190/1	0.42
146	0.45	190/2	0.19
153	0.24	191	0.04
154	0.17	192	0.41
155	0.16	193	0.39
156	0.05	194	0.41
157	0.09	195	0.41
158	0.08	196/1	0.26
159	0.29	196/2	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
197	0.06	244	0.01
198	0.02	245	0.01
199	0.03	246	0.06
200	0.02	247	0.06
201	0.02	248	1.30
202	0.14	249	0.23
203	0.17	250	0.04
204	0.27	251	0.08
205/1	0.37	252	0.20
205/2	0.60	253	0.15
206/1	0.45	255	0.31
206/2	0.30	256	0.03
206/3	0.81	257	0.06
207	0.45	258/1	0.07
208	0.35	258/2	0.10
209	0.17	259	0.01
210	0.06	260	0.17
211	0.04	261	0.10
212	0.09	262	0.12
213	0.09	263/1	0.13
214	0.14	263/2	0.25
215	0.04	264	0.07
216	0.05	265	0.02
217	0.10	266/1	0.13
218	0.06	266/2	0.02
220/1	0.11	267	0.15
223/1	0.56	268	0.16
224	0.09	269	0.12
225	0.05	270/1	0.04
227	0.05	270/2	0.10
228/1	0.40	271	0.18
229	0.06	272	0.07
230	0.15	273	0.10
231	0.10	274	0.04
232	0.04	275	0.04
233	0.03	334	0.04
234	0.19	335/1	0.05
235	0.15	335/2	0.02
236	0.12	336	0.07
237	0.20	337	0.01
241	0.34	338/1	0.14
242	0.04	338/2	0.13
243	0.13	339/1	0.06

(1)	(2)	(1)	(2)
340	0.06	365	0.04
341/1	0.03	366	0.07
342/1	0.03	367	0.08
342/2	0.02	368	0.03
342/3	0.02	369	0.02
342/4	0.02	370/1	0.04
342/5	0.02	370/2	0.01
343	0.10	370/3	0.01
345	0.10	370/4	0.01
346	0.08	371/1	0.04
347	0.18	371/2	0.05
348	0.02	372	0.10
349/1	0.04	373	0.08
349/2	0.04	374	0.06
350/1	0.10	375	0.06
350/2	0.05	379	0.11
351	0.01	380/1, 380/2	0.02
352/1	0.02	381	0.04
352/2	0.01	382	0.22
353/1	0.11	384	0.08
353/2	0.10	385/1	0.10
353/3	0.06	385/2	0.05
353/4	0.02	386/1	0.02
353/5	0.02	386/2	0.01
354	0.02	387	0.04
355	0.05	388	0.06
356	0.03	389	0.03
357	0.04	390	0.01
358	0.04	391	0.24
359/1	0.04	422	1.69
359/2	0.05	423	0.06
359/3	0.01	424	0.06
359/4	0.01	425	0.11
359/5	0.04	426	0.02
360	0.10	427	0.01
361/1	0.05	428	0.45
361/2	0.05	429	0.03
362	0.02	430	0.09
363/1	0.04	431/1	0.05
363/2	0.04	432	0.17
363/3	0.04	433	0.04
363/4	0.04	434	0.08
363/5	0.04	435	0.10
364	0.03		

(1)	(2)	(1)	(2)
436	0.11	476	0.35
437	0.38	477	0.17
438	0.22	478	0.16
439	0.12	479	0.36
440	0.06	480	0.03
441	0.16	481	0.11
442	0.11	482	0.05
443	0.25	483	0.57
444	0.03	484	0.13
445	0.13	485	0.25
446	0.02	486	0.38
447	0.08	487	0.13
448	0.09	488	0.53
449/1	0.24	489	0.13
449/2	0.19	490	0.20
450	0.10	491	0.24
451	0.14	492	0.05
452	0.62	493	0.05
453	0.21	494	0.12
454	0.07	495	0.12
455	0.11	496/1	0.44
456	0.05	496/2	0.47
457	0.08	496/3	0.50
458	0.07	497	0.13
459	0.11	498	0.15
460	0.06	499	0.40
461	0.01	500	0.40
462	0.09	501/1	0.46
463	0.26	501/2	0.46
464	0.16	502	0.14
465	0.25	503	0.43
466/1	0.17	504	0.43
466/2	0.40	505/1	0.54
466/3	0.40	505/2	0.41
[illegible]	0.05	505/3	0.41
468	0.10	505/4	0.43
469	0.05	505/5	0.41
470	0.10	505/6	0.20
471	0.29	506	0.09
472	0.18	507/1	0.05
473	0.07	507/2	0.07
474	0.07	508	0.06
475	0.12	509	0.40

(1)	(2)
510	0.32
511	0.16
512	0.01
513	0.12
514	0.25
515/1	0.31
515/2	0.41
516	0.26
517	0.18
518	0.15
519	0.31
520	0.44
520/1146	0.44
521/1	0.12
521/2	0.37
522	0.20
523	0.02
524	0.39
525/1	0.41
525/2	0.30
526	0.20
527	0.38
528	0.42
529	0.58
530	0.20
521	0.10
532	0.15
533	0.15
534	0.25
535	0.26
536	0.24
537/1	0.21
537/2	0.11
538	0.21
539	0.41
540	0.09
541	0.12
542	0.29
543/1	0.43
543/2	0.41
543/3	0.40
543/4	0.40
543/5	0.40
544/1	0.03
544/2	0.22
544/3	0.21
544/4	0.17
544/5	0.21
545	0.08
546	0.43
547	0.26
548	0.44
549	0.17
550/1	0.32
550/2	0.20
550/3	0.10
551	0.35
552	0.41
553	0.40
554	0.11
555	0.42
556	0.20
557	0.46
558/1	0.66
558/2	0.41
559	0.50
560	0.45
561	0.13
562/1	0.41
562/2	0.23
563	0.04
564	0.03
565	0.03
566	0.03
567	0.03
568	0.04
569	0.18
570	0.40
571	0.19
572	0.05
573	0.03
574	0.04
575	0.08
576	0.05
577	0.31
578	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
579	0.10	607/1	0.26
580	0.18	607/2	0.27
581	0.18	608	0.14
582	0.46	608/1151	0.41
542/1148	0.41	609	0.17
583	0.82	610	0.15
583/1153	0.86	610/1150	0.41
584	0.11	611	0.14
585	0.19	612	0.31
586	0.14	613/1	0.25
587	0.40	613/2	0.17
588/1	0.41	613/3	0.30
588/2	0.10	613/4	0.41
588/3	0.41	614/1	0.15
588/4	0.21	614/2	0.07
588/5	0.41	615	0.44
588/6	0.43	616	1.53
589	0.26	617	0.18
590	0.39	620/1	0.40
591/1	0.33	620/2	0.16
591/2	0.10	621	0.27
592	0.39	622	0.25
593	0.18	622/1149	0.41
594/1	0.15	623	0.14
594/2	0.10	624	0.35
594/3	0.10	625	0.09
594/4	0.10	626	0.08
594/5	0.10	628पी.	0.50
594/6	0.20	629	0.13
595	0.06	630/1	0.04
596	0.03	630/2	0.41
597	0.79	631/1	0.28
598	0.37	631/2	0.21
599	0.10	631/3	0.28
600	0.30	631/4	0.20
601	0.23	632	0.34
602	0.13	633/1	0.12
603	0.09	633/2	0.13
604	0.50	634	0.33
605	0.24	635	0.44
606/1	0.13	636/1	0.08
606/2	0.40	636/2	0.16
606/3	0.40	637	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
638	0.30	670/3	0.03
639 पी.	0.40	670/4	0.02
641 पी.	0.45	671	0.18
642 पी.	0.52	672	0.15
647	0.99	673	0.08
648	0.11	674	0.09
649/1	0.13	675	0.08
649/2	0.10	676/1	0.07
649/3	0.10	676/2	0.07
649/4	0.10	677	0.31
649/5	0.10	678	0.06
649/6	0.10	679	0.12
650	0.76	680	0.05
651	0.52	681	0.38
652	0.23	682	0.23
653	0.14	683	0.29
654/1	0.10	684	0.03
654/2	0.13	685	0.19
654/3	0.10	686	0.17
654/4	0.14	687	0.05
654/5	0.15	688	0.05
654/6	0.15	689/1	0.22
655	0.11	689/2	0.19
656	0.19	690	0.10
657/1	0.22	691	0.22
657/2	0.23	692	0.42
658	0.21	693	0.20
659	0.41	694	0.15
660	0.07	695	0.23
661/1	0.35	696	0.45
661/2	0.51	697	0.33
662/1	0.11	698	0.40
662/2	0.36	699	0.13
663	0.16	700	0.16
664	0.27	701	0.17
665	0.38	702	0.46
666	0.08	703	0.15
667	0.05	704	0.25
668	0.01	705	0.14
669/1	0.49	705/1152	0.44
669/2	0.41	706	0.14
670/1	0.04	707	0.07
670/2	0.04	708	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
709	0.46	738	0.13
710	0.32	739	0.06
711	0.43	740	0.03
712/1	0.18	741	0.04
712/2	0.04	742	0.09
712/3	0.04	743	0.05
713	0.04	744/1	0.15
714	0.08	744/2	0.47
715	0.08	745/1	0.24
716	0.30	745/2	0.07
717/1	0.14	745/3	0.21
717/2	0.10	745/4	0.09
718	0.26	746	0.60
719/1	0.16	747	0.16
719/2	0.53	748	0.08
720	0.18	749	0.06
721	0.30	750/1	0.05
722	0.05	752/1	0.09
723	0.10	753	0.06
724	0.18	754	0.08
725	0.02	755	0.09
726/1	0.05	757/1	0.22
726/2	0.04	758	0.13
727	0.17	759	0.10
728	0.10	760	0.06
729	0.07	761	0.18
730/1	0.10	762	0.08
730/2	0.11	763	0.18
731	0.03	764	0.14
732	0.07	765	0.18
733/1	0.01	766	0.49
733/2	0.01	770	0.10
733/3	0.01	772	0.13
733/4	0.01	773	0.13
733/5	0.01	775	0.21
734	0.03	776	1.56
735/1	0.01	777	0.12
735//2	0.01	778	0.12
735/3	0.01	780	0.08
736/1	0.10	781	0.40
736/2	0.12	783/1	0.25
737/1	0.08	783/2	0.40
737/2	0.02	784	0.26

(1)	(2)	(1)	(2)
785/2	0.10	826/2	0.77
785/3	0.38	827	2.29
786	0.36	828	0.03
787	0.34	829	0.12
788	0.27	830	0.13
789	0.27	831	0.04
790	0.17	832	0.02
791	0.17	833	0.26
792	0.34	834	0.04
793	0.34	835	0.08
794	0.34	836	0.12
795/1	0.16	837	0.03
795/2	0.41	838	0.05
795/3	0.22	839	0.35
795/4	0.43	840	0.50
795/5	0.41	84/P	2.74
796/1	0.05	841/P	0.30
796/1	0.69	845	0.15
802/P	10.10	846	0.30
803	0.03	847	0.89
804	0.12	848	0.36
805	2.03	849	0.15
806	0.33	850	0.15
807	1.35	851	0.32
808	0.10	852	0.16
809	0.31	853	0.98
810	0.89	854	0.30
811	0.78	855	0.20
812	0.42	856	0.28
813	0.50	857	0.22
814	0.42	858	0.42
815	0.99	859	0.08
816	1.38	860	0.07
817	0.23	861	0.32
818	0.20	862/1	0.20
819	2.03	862/2	0.31
820	0.06	864/1	0.17
821	0.10	864/2	0.02
822	0.18	865	0.10
823	0.07	866	0.38
824	0.67	867	0.25
825	0.40	868	0.27
826/1	1.08	869	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
870	0.06	905	0.08
871	0.02	906/1	0.10
872/1	0.34	906/2	0.45
872/2	0.10	906/3	0.40
873	0.20	906/4	0.40
874	0.07	907	0.17
875	0.04	908	0.28
876	0.08	909	0.25
877	0.28	910	0.02
878	0.06	911	0.18
879/1	0.15	912	0.11
889/2	0.36	913	0.14
880	0.07	914	0.17
881	0.30	915	0.03
882/1	0.16	916	0.51
882/2	0.08	917	0.21
882/3	0.08	918	0.21
582/1147	0.42	919	0.35
883	0.16	920	0.11
884	0.30	921	0.42
885	0.14	922	0.13
886	0.13	923	0.08
887	0.12	924	0.11
888/1	0.34	925	0.11
888/2	0.16	926	0.23
889/1	0.11	927	0.40
889/2	0.41	928	0.41
890	0.09	929	0.20
891	0.06	930	0.58
892	0.04	931	0.27
893	0.04	932	0.27
894	0.34	933/1	0.09
895	0.19	933/2	0.47
896	0.19	933/3	0.41
897	0.19	934	0.40
898	0.42	935	0.25
899	0.19	936	0.32
900/1	0.41	937	0.24
900/2	0.11	938	0.38
901	0.11	939	0.34
902	0.22	940	0.34
903	0.15	941/1	0.58
904	0.21	941/2	0.50

(1)	(2)
942 पी.	0.01
943 पी.	2.30
946 पी.	0.45
947	0.95
948	1.37
949	1.06
950/1	0.10
950/2	0.15
950/3	0.15
950/4	0.14
950/5	0.19
950/6	0.18
951	0.48
955	0.49
956	0.25
957	0.06
958	0.10
959	0.02
960/1	0.14
960/2	0.14
961	0.10
962	0.18
963	0.08
969	0.05
970	0.01
971/1	0.16
971/2	0.25
971/3	0.13
971/4	0.11
971/5	0.07
975 पी.	0.09
530/1139	0.08
793/1142	0.34
906/1144	0.40
544/1145	0.39
योग 1025	228.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भटगांव भूमिगत खदान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/18/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सालेमेटा, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.37 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
160	4.34
157	3.92
162	2.36
132	1.82
158	0.91
161	0.20
131	1.82
योग	15.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर के कार्यालय अथवा कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक 2795/भू-अर्जन/02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा

(ख) तहसील-भोपालपटनम

(ग) नगर/ग्राम-अर्जुनली, प.ह.नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	227/39 क	0.603
	227/36	0.181
योग	2	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उद्वहन सिंचाई योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक 2798/भू-अर्जन/07/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा

(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम-गुमियापाल, प.ह.नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	94	0.35
योग	01	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारीडोर मार्ग निर्माण गुमियापाल.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक 2794/भू-अर्जन/32/अ-82/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा

(ख) तहसील-भोपालपटनम

(ग) नगर/ग्राम-मेटलाचेरू, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/2	0.16

	(1)	(2)
	6	0.38
	2	0.25
	3	0.23
योग	4	1.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक 2791/भू-अर्जन/34/अ-82/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-देपला, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
6/1	0.08
6/2	0.22
6/3	0.15
7	0.40
8/1	0.07
8/2	0.07
12/1	0.04
10	0.44
13/1	0.22
15/1	0.07
13/2	0.18
14	0.08
योग 12	2.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक 2787/भू-अर्जन/35/अ-82/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-कोतूर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
43/3, 4/15	0.09
4/5	0.02
4/9	0.05
4/12	0.04
4/14 क	0.02
4/14 ख	0.02
4/14 ग	0.02
4/18	0.03
4/20	0.03

(1)	(2)
4/21	0.03
39/1	0.04
योग 11	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202 सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक /2790/भू-अर्जन/36/अ-82/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-तारला गुड़ा प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/2	0.04
योग 2	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 जून 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/9 अ/82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पवनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2817/1	0.038
2817/2	0.048
2816/1	0.024
2816/2	0.028
2815	0.048
2814	0.048
2813	0.115
3791	0.025
3792	0.013
3793/1	0.004
3793/2	0.004
2657	0.060
2656	0.036
2654/2	0.032
2653	0.036
2666	0.044
2663	0.020
2664	0.030
2665/4	0.040

(1)	(2)
2667/1	0.048
2667/2	0.004
2821/1	0.008
2670	0.028
2692/2	0.040
2671/2	0.013
2672/2	0.008
2672/3	0.036
2673	0.048
2647/4	0.044
2647/2	0.028
2647/3	0.032
3789/1	0.013
3789/2	0.077
2641/1	0.028
2641/2	0.036
2641/3	0.032
2788/1	0.456
योग 37	1.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोवर सोनिया जलाशय के अंतर्गत पवनी माइनर नं. 01 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/12 अ/82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खजरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.367 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1	0.053
43/2	0.041
43/3	0.073
43/4	0.041
69/6	0.053
69/4, 2	0.044
69/8	0.037
69/3	0.020
69/1	0.005
योग 9	0.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोवर सोनिया जलाशय के अंतर्गत लुकापारा माइनर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/5 अ/82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिलाईगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.716 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442/2	0.036

(1)	(2)
443	0.068
444/1	0.027
444/2	0.016
446/1	0.061
448	0.036
447	0.009
466	0.026
454	0.004
455/1	0.037
455/2	0.020
467/1	0.037
467/2	0.024
432/1	0.016
432/2	0.024
431/1	0.044
427/1	0.036
426	0.036
420/2	0.048
421/1	0.033
399/6	0.036
399/7	0.016
408	0.026
योग 23	0.716

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोवर सोनिया जलाशय की बिलाईगढ़ सब माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2005

क्रमांक 109/अ.वि.अ./भू.अ./प्र. क्र.-11/अ-82/वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिर हसौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
550	0.040
551/1	0.934
551/2	0.320
551/3	1.400
551/4	0.413
551/5	0.182
551/6	0.320
551/7	0.672
551/8	0.203
551/9	0.202
552	0.445
555/1	0.037
555/2	0.539
555/3	0.202
556/1	0.162
557/1	0.304
557/2	0.299
558	0.085
559	0.490
560/1	0.068
560/2	0.020
561	0.534
584	0.186
586	0.737
587	0.360
589/2	0.373
579/3	0.405
556/2	0.255
योग 28	10.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के लिये फ्यूल डिपो की स्थापना बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334/2	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्कता है-कोतरा उप-केन्द्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक 625/अ.वि.अ.भू-अ/14-अ/2003-04—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-भालुचुवा, प. ह. नं. 109/56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
337	0.31
338	0.03
340	0.21
192	0.62
182	0.21
181/3	0.43
184	0.98
योग 07	2.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चंडी-डोंगरी जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक 626/अ.वि.अ.भू.-अर्जन/18-अ/82 सन् 2003-2004—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-झलमला, प. ह. नं. 112/59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83/3	0.15
270	0.12
271	0.08
282	0.09
284	0.04
269	0.05
283	0.10
286	0.02
287	0.08
264	0.04
290	0.08
289	0.02
292	0.07
295	0.03
296	0.10
329	0.10
328	0.20
217	0.08
325	0.07
331	0.12
332	0.08
333	0.10
344	0.18
349	0.04
348	0.04
योग 25	2.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 5 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. [illegible], [illegible] एवं पदेन उप-सचिव.